

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भुगतान सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद आगरा में बॉईपुर/बाबरपुर/मऊ वन ब्लॉक में गंगाजल परियोजना इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा प्रस्तावित गंगाजल परियोजना से सम्बन्धित पाईप लाइन बिछाने हेतु प्रभावित 10.22375 हे० आरक्षित वन भूमि के समतुल्य क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग/शासन द्वारा जितनी धनराशि की मांग की जायेगी उसका भुगतान गंगाजल परियोजना इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा वन विभाग को नियमानुसार किया जायेगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण धनराशि में यदि भविष्य में कोई बढ़ोतरी होती है तो उसका भुगतान परियोजना प्रबन्धक, गंगा जल परियोजना इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा वन विभाग को किया जायेगा।

ganga 15.3.18
(आ० के० पकज)

परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ०प्र० जल निगम, आगरा

हस्ताक्षरित

(*ganga* मित्तल)
आय निदेशक 15/3/18
वन वानिकी प्रभाग
आगरा